दिनांक : 26.03.2016

परिशिष्ट - VI

26.07.2011 को दिनांकित व्यापार नोटिस संख्या. एपीडा /पी.पी.पी/ क्यू/2011 दिनांक 26.07.2011 में अतिरिक्त संशोधन दिनांक 31.03.2014 : एफ्लाटॉक्सीन के नियंत्रण द्वारा मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

1. मूंगफली और मूंगफली उत्पादों (पी.पी.पी) प्रसंस्करण इकाईयों, एकीकृत मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों, मूंगफली शेलिंग इकाईयों, मूंगफली ग्रेडिंग यूनिटों, मूंगफली शेलिंग सह ग्रेडिंग इकाईयों, मूंगफली के गोदामों / भण्डारण के सभी निर्यातकों को निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर एपीडा में पंजीकृत किया जाए।

2. सभी पी.पी.पी प्रसंस्करण इकाईयों, एकीकृत मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों, मूंगफली शेलिंग इकाईयों, मूंगफली ग्रेडिंग यूनिटों, मूंगफली शेलिंग सह ग्रेडिंग इकाईयों, मूंगफली के गोदामों / भण्डारण सहित इन उत्पादों को प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए किसी भी रूप में अथवा खाद्य पदार्थों में एक घटक के रूप में निर्यात करने के लिए इच्छुक या अन्य प्रसंस्करण के लिए सीधे निर्यात या निर्यातक को आपूर्ति करने के लिए इच्छुक अपने आवेदन को एपीडा को प्रस्तुत किया जाए।

3. पी.पी.पी निर्यात के लिए एपीडा के पक्ष में प्रसंस्करण शुल्क प्रदान करने पर एपीडा द्वारा निर्यात प्रमाण-पत्र (सी.ओ.ई) जारी किया जाएगा।

4. गैर-यूरोपीय देशों के मामलों में, निर्यातकों को अपंजीकृत शेलर्स / खुले बाज़ारों से क्रय करने की अनुमति है। हालांकि यह अनिवार्य है कि कच्चा माल एपीडा पंजीकृत ग्रेडिंग, शेलिंग-सह-ग्रेडिंग और प्रसंस्करण इकाईयों में ही प्रसंस्कृत किया जाए।

इकाईयों द्वारा निर्यातकों को लॉट वितरण हेतु अपंजीकृत शेलर्स / खुले बाज़ारों से किए गए क्रय का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।

5. आई.ओ.पी.ई.पी.सी को जो प्रकार्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उन्हें ऊपर दिए गए व्यापार नोटिस संदर्भ के तत्काल प्रभाव के साथ वापिस ले लिया जाए। उक्त प्रकार्य और उत्तरदायित्व अब से प्रत्यक्ष रुप से एपीडा द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे।

6. अनुवर्ती परिशिष्ट (I से V) के साथ एफ्लाटॉक्सीन के नियंत्रण के माध्यम से मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु अधिनियम (09/01/2013 को दिनांकित परिशिष्ट - III) दिनांक 27/06/2011 में दिए गए अन्य प्रावधान यथावत रुप से बने रहेंगे।

अध्यक्ष

एपीडा, नई दिल्ली

26.03.2015